न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88/2009	27/07/2009	22/08/2025

1 राजाबाई पत्नी फूलचंद जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा

–वादी–

बनाम

1. पांचू पुत्र सांवला जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा
2. मथूरालाल पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. रामनारायण पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
4. रामस्वरूप पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. रामनिवास पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
6. गिर्राज पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा

प्रतिवादीगण

उपस्थित
1. श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट वादी।
2. श्री गिरिश गोयल एडवोकेट प्रतिवादीकम 2 ता 6।

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादी का वाद इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम श्योपुरा की जमाबन्दी संवत 2033–36 की खाता सं० 17 में ख०नं० मि. 44/11 रकबा 6 बीघा 1 बिसवा भूमि ग्यारसीराम वल्द गणेश जाति धाकड निवासी नीमसरा की खातेदारी में दर्ज है। जिसके बाद नवीन ख०नं० 111/288 रकबा 0.75 है० पैमूद किए गए। ग्यारसी पुत्र गणेश जाति धाकड निवासी नीमसरा की मृत्यु हो चुकी है। जिनके स्थान पर बजरंगी पुत्र पोखरिया, गणेशी पत्नी पोखरिया जाति धाकड निवासी नीमसरा का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हो चुका है। गणेशी की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार विवादित आराजी की एक मात्र खातेदार बजरंगी पुत्री पोखरिया रही। जिसके द्वारा विवादित भूमि जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादिनी को विक्रय की जा चुकी है। जिस पर वादीनी गत खातेदार द्वारा संभलाये गये कब्जे के मुताबिक ही मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। विवादित भूमि के समीप ही गत ख०नं० 57 मि० रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है। जिसके बाद बन्दोबस्त नवीन ख०नं० 111 रकबा 2.43 है० पैमूद किये गये जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में पांचू पुत्र सावला जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा की गैरखातेदारी में दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ख०नं० मि० 44/11 व ख०नं० 57 मि० के बाद बन्दोबस्त बने नवीन ख०नं० कमशः 111/288 व 111 को राजस्व नक्शे लट्टे में त्रुटिपूर्ण तरीके से ख०नं० 44/11 मि० के स्थान पर ख०नं० 111 तथा ख०नं० 57 मि० के स्थान पर ख०नं० 111/288 अंकित कर दिया है जबकि वादीनी व प्रतिवादी नं० 1 मौके पर सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है। सेटलमेन्ट विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह वादीनी के खाते व कब्जे की विवादित भूमि के राजस्व नक्श लट्टे में वाद पत्र की मद नं० 4 में वर्णित त्रुटि करे वादिनी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त त्रुटियो को दुरूस्त करावे।
अतः दावा वादी प्रस्ततु कर निवेदन है कि वादीनी के खाते व कब्जे की कृषि भूमि ख०नं० 111/288 जिस पर सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शे के मुताबिक ही (ख0न0 0न0

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

44/11 मि० पर) काबिज है. को वर्तमान नक्शे लट्ठे में दुरूस्त कर ख०न० 111 के स्थान पर ख०नं० 111/288 अंकित किया जावे। इसी प्रकार ख०न० 111/288 के स्थान पर वर्तमान नक्शे में ख०न० 111 अंकित किया जावे।

पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के पत्रांक 1164 दिनांक 28.09.2015 से रिमाण्ड होकर इस निर्देश के अनुसार प्राप्त हुई की प्रतिवादी को जवाब दावा सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि समस्त निर्णय पारित करे दावा वादीगण दर्ज रजि० किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं० 2 ता 6 की और से श्री गिरिश गोयल द्वारा को वकालतनामा दिनांक 30.01.2018 पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 23.07.2024 को प्रतिवादी 1 ता 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार पीपल्दा के पत्रांक 124 दिनांक 28.12.2023 द्वारा जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है जो शामिल पत्रावली है जो अग्रलिखित है कि ग्राम श्योपुरा में खाता नं0 92 पर ख0नं0 111/288 कुल रकबा 0.75 है० किस्म बारानी प्रथम पर राजाबाई पत्नी फूलचन्द बैरवा सा० श्योपुरा रिकॉर्ड खाता दर्ज है।

1. जमाबंदी संवत 2033–36 में ग्यारसीराम वल्द गणेश जाति धाकड़ निवासी नीमसरा ख० नं0 44/11 में 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि खाता दर्ज है।
2. ख0न0 57 मि० 44/11 की 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि का सेटलमेंट के पश्चात 111/288 रकबा 0.75 किया गया।
3. सेलटमेंट द्वारा 44/11 खसरा नंबर 111/288 नक्शेमें उसी स्थान पर नहीं रखकर अन्य स्थान पर रख दिया गया।
4. ग्यारसीराम वल्द गणेश जाति धाकड़ की मृत्यु के पश्चात वारिस बजरंगी पुत्री पोखरया गणेशी बैवा पोखरया जाति धाकड़ खाता दर्ज हुआ। गणेशी की मृत्यु के पश्चात् खाते में बजरंगी का नाम शेष रह गया।
5. खसरा नंबर 111/288 बजरंगी द्वारा राजाबाई पत्नि फूलचन्द बैरवा निवासी श्योपुरा को विक्रय कर दिया गया।
6. वादी राजाबाई वर्तमान में पुराने स्थान पर ही काश्त कर रही है तथा 111/288 पर वर्तमान में पांचूलाल काश्त कर रहा है।
7. वादी वर्तमान में खसरा नंबर 114 में रकबा 0.75 भूमि पर पूर्वी दिशा में काश्त कर रहा है।
8. वादी खसरा नंबर 114 में से 0.75 है० भूमि पुराने स्थान पर नक्शे में दर्ज कराना चाहता है।

वादी द्वारा दस्तावेज साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि नकल जमाबन्दी संवत 2033–37 ग्राम श्योपुरा खातेदार ग्यारसीबाई वल्द गणेश धाकड सा० नीमसरा प्रदर्श 1. नकल जमाबन्दी ग्राम श्योपुरा संवत 2064–67 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी ग्राम श्योपुरा संवत 2064–67 प्रदर्श 3, मिलान क्षेत्रफल संवत 2041–60 ग्राम श्योपुरा प्रदर्श 4, नक्शा ट्रेस ग्राम श्योपुरा श्योपुरा प्रदर्श 5, नक्शा ट्रेस ग्राम श्योपुरा प्रदर्श 6 प्रस्तुत किए तथा मौखिक साक्ष्य में पी. डब्ल्यू 1 राजाबाई पत्नि फूलचंद जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा, पी.डब्ल्यू 2 सूरजमल पुत्र मन्ना जाति मीणा निवासी श्योपुरा, पी.डब्ल्यू 3 रामप्रताप पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी श्योपुरा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी संवत 2033–37 ग्राम श्योपुरा खातेदार ग्यारसीबाई वल्द गणेश धाकड सा० नीमसरा, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी ग्राम श्योपुरा संवत 2064–67 ख०नं० 111/288 रकबा 0.75 है० खातेदार बजरंगी पुत्र पोखरिया, गणेशी बेवा पोखरिया जाति धाकड सा० नीमसरा में नामा० नं० 320 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

22.08.08 विक्रय की जर्ये रजि० विक्रय पत्र बजरंगी के स्थान पर क्रेता राजाबाई पत्नी फूलचंद सा० श्योपुरा के नाम खाता दर्ज कर की स्वीकृति का नोट अंकित है। प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी ग्राम श्योपुरा संवत 2064–67 ख0नं0 111 रकबा 2.43 है० खातेदार पांचू वल्द सांवला जाति बैरवा सा० देह, प्रदर्श 4 क्षेत्रफल संवत 2041–80 ग्राम श्योपुरा के अनुसार पूर्व ख०नं० 44/11 रकबा 6 बीघा 1 के नवीन ख०न० 111/288 रकबा 0.75 तथा ख०नं० 57 मि० रकबा 15 बीघा के नवीन ख०न० 111 रकबा 2.43 है० कायम किये गये है। नक्शा ट्रेस ग्राम श्योपुरा श्योपुरा प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस ग्राम श्योपुरा प्रदर प्रदर्श 6 तथा पी. डब्ल्यू. 1 राजाबाई पत्नि फूलचंद जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा, पी. डब्ल्यू 2 सूरजमल पुत्र मन्ना जाति मीणा निवासी श्योपुरा, पी.डब्ल्यू 3 रामप्रताप पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी श्योपुरा ने अपने बयानो में कहा कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 44/11 व ख०नं० 57 मि० के बाद बन्दोबस्त बने नवीन ख०न० कमशः 11/288 व 111 को राजस्व नक्शे लट्ठे की त्रुटिपूर्ण तरीके से ख0नं0 44/11 मि के स्थान पर ख०न० 111 तथा ख०नं० 57 मि० के स्थान पर ख०न० 111/288 अंकित कर दिया है। जबकि राजाबाई वर्तमान में पुराने स्थान पर सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है। जवाब सरकार पैश हुआ जवाब सरकार के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादिनी वर्तमान में ख०न० 114 रकबा 0.75 है० भूमि पर पूर्वी दिशा में काश्त कर रही है। उक्त राजस्व अभिलेखों की सत्यलिपि एवं शपथ पत्र बयानों व तहसील रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि ग्राम श्योपुरा में खाता सं० 44 पर ख0नं0 111/288 रकबा 0.75 भूमि पर वादिनी खातेदार दर्ज है। वादिनी राजाबाई वर्तमान में पुराने स्थान पर काश्त कर रही है। वादिनी राजाबाई वर्तमान में ख0नं0 114 रकबा 0.75 है० भूमि पर पूर्वी दिशा में काश्त कर रही है। राजाबाई ख०नं० 114 में से 0.75 है० भूमि पुराने स्थान पर नक्शे में दर्ज कराने की अधिकारी है। परिणामस्वरूप दावा वादिनी स्वीकार योग्य है।

अतः वादिनी स्वीकार किया जाकर ग्राम शयोपुरा के राजस्व नक्शा एवं भू–नक्शा में दर्ज ख0नं0 111, ख0नं0 111/288, ख0नं0 114 की आन्तरिक मेंड (सीमाओं) को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम श्योपुरा के ख0नं0 111, ख0नं0 111/288, ख0नं0 114 की आन्तरिक मेंड (सीमाओं) को राजस्व नक्शे/भू–नक्शा से विलोपित कर उक्त ख0नम्बरान के खातेदारान के वास्तविक कब्जे काश्त व खातेदारी क्षेत्र को वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार सीमाएं अंकित करते हुए राजस्व नक्शा व भू–नक्शा में शुद्ध करें कि वादिनी राजाबाई पत्नि फुलचन्द बैरवा के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम शयोपुरा के ख0नं0 111/288 रकबा 0.75है0 की तरमीम वर्तमान नक्शा व भू–नक्शा में अंकित ख0नं0 114 रकबा 1.49हे0 के पूर्वी दिशा में पुराने स्थान पर की जाकर ख0नं0 111/288 किया जावे एवं प्रतिवादी पांचू पुत्र सावला जाति बैरवा नि0 श्योपुरा का ग्राम श्योपुरा में गैर खातेदारी ख0नं0 111 रकबा 2.43है0 के प्रभावित रकबा 0.75हे0 को राजस्व नक्शा एवं भू–नक्शा में वर्तमान ख0नं0 111 में शेष रहे रकबे को ख0नं0 111/288 के साथ मिलाते हुए ख0नं0 111 किया जावे एवं प्रतिवादी कम 2 ता 6 के खातेदारी ख0नं0 114 रकबा 1.49हे0 को भी मौका अनुसार दुरूस्त किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.08.2025 को खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88/2009	27/07/2009	22/08/2025

1 राजाबाई पत्नी फूलचंद जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा

—वादी—

बनाम

1. पांचू पुत्र सांवला जाति बैरवा निवासी श्योपुरा तह० पीपल्दा
2. मथूरालाल पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3. रामनारायण पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
4. रामस्वरूप पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5. रामनिवास पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
6. गिर्राज पुत्र माधोलाल जाति बैरवा नि0 श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री कमल कुमार बंसल एडवोडकेट वादी।
2. श्री गिरिश गोयल एडवोडकेट प्रतिवादीकम 2 ता 6।

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री गिरिश गोयल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम शयोपुरा के राजस्व नक्शा एवं भू—नक्शा में दर्ज ख0नं0 111, ख0नं0 111/288, ख0नं0 114 की आन्तरिक मेंड (सीमाओं) को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम श्योपुरा के ख0नं0 111, ख0नं0 111/288, ख0नं0 114 की आन्तरिक मेंड (सीमाओं) को राजस्व नक्शे/भू—नक्शा से विलोपित कर उक्त ख0नम्बरान के खातेदारान के वास्तविक कब्जे काश्त व खातेदारी क्षेत्र को वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार सीमाएं अंकित करते हुए राजस्व नक्शा व भू—नक्शा में शुद्ध करें कि वादिनी राजाबाई पत्नि फुलचन्द बैरवा के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम शयोपुरा के ख0नं0 111/288 रकबा 0.75है0 की तरमीम वर्तमान नक्शा व भू—नक्शा में अंकित ख0नं0 114 रकबा 1.49हे0 के पूर्वी दिशा में पुराने स्थान पर की जाकर ख0नं0 111/288 किया जावे एवं प्रतिवादी पांचू पुत्र सावला जाति बैरवा नि0 श्योपुरा का ग्राम श्योपुरा में गैर खातेदारी ख0नं0 111 रकबा 2.43है0 के प्रभावित रकबा 0.75हे0 को राजस्व नक्शा एवं भू—नक्शा में वर्तमान ख0नं0 111 में शेष रहे रकबे को ख0नं0 111/288 के साथ मिलाते हुए ख0नं0 111 किया जावे एवं प्रतिवादी कम 2 ता 6 के खातेदारी ख0नं0 114 रकबा 1.49हे0 को भी मौका अनुसार दुरूस्त किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 22.08.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा